भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न सं0: 1074

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**जैव-ईंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कदम**

**1074. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जैव-ईंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जैव-ईंधन कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधियों, इसके संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाने, इसके माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

**(क):** सरकार ने वर्ष 2003 में एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया था जिसके दायरे को बढ़ाकर 01 नवम्‍बर, 2006 से इसमें 20 राज्‍यों और 4 संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था और भारतीय मानक ब्‍यूरो विनिर्देशनों के अनुसार वाणिज्‍यिक व्‍यवहार्यता की शर्त पर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 5% ईबीपी की बिक्री करने का निर्देश दिया गया था।

 इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 22 नवंबर, 2012 को अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि पूरे देश में पेट्रोल में 5% एथेनाल के अनिवार्य मिश्रण को कार्यान्‍वित किया जाए और इसके बाद से एथेनॉल का अधिप्राप्‍ति मूल्‍य ओएमसीज और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किया जाएगा। उपर्युक्‍त निर्णय की अनुपालना में एमओपीएंडएनजी द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना 02 जनवरी, 2013 को जारी की गई थी जिसमें ओएमसीज को पूरे देश में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए बीआईएस विनिर्देशन के अनुसार 10% तक की प्रतिशतता के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने का निर्देश दिया गया था।

 दिनांक 03 जुलाई, 2013 को सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि ओएमसीज देश के उन क्षेत्रों/भागों में जहां एथेनॉल की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध है, 5% एथेनॉल मिश्रण की अनिवार्य अपेक्षा पूरी करने के लिए घरेलू स्रोतों से एथेनॉल की अधिप्राप्‍ति करें। देश

के अन्‍य भागों में 5% अनिवार्यता के स्‍तर तक पहुंचने के लिए एथेनॉल की उपलब्‍धता पर निर्भर करते हुए एथेनॉल के मिश्रण को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

 एथेनॉल की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 दिसंबर, 2014 को ओएमसीज के डिपो/संस्‍थापना से आसवनी की दूरी पर निर्भर करते हुए एथेनॉल का मूल्‍य 48.50 रूपए से 49.50 रूपए प्रति लीटर के बीच तय किया है। इन दरों में सभी केन्‍द्रीय और सांविधिक उगाहियां, परिवहन लागतें आदि शामिल हैं, जिनका वहन एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को करना होगा। इसके अलावा, पेट्रो रसायन रूट सहित सेल्‍यूलोजिक और लिग्‍नो सेल्‍यूलोजिक सामग्रियों जैसे शीरे के अलावा गैर-खाद्य फीड स्‍टॉक से उत्‍पादित एथेनॉल की अधिप्राप्‍ति करने की भी अनुमति दे दी गई है, बशर्ते संबंधित बीआईएस विनिर्देशन पूरे किए जाएं।

 इसके अतिरिक्‍त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्‍तूबर, 2005 में एक जैव डीजल खरीद नीति की घोषणा की थी, जो 01.01.2006 से प्रभावी है। इस नीति के तहत, ओएमसीज देशभर में पहचाने गए 20 खरीद केन्‍द्रों पर हाई स्‍पीड डीजल (एचएसडी) के साथ 5 प्रतिशत की सीमा तक मिश्रण के लिए, समय समय पर ओएमसीज द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एक समान मूल्‍य पर, निर्धारित बीआईएस मानक को पूरा करने वाले जैव डीजल की खरीद करेंगी। इसके अलावा, मिश्रण के सीमित प्रयोजन से थोक उपभोक्‍ताओं को निजी जैव डीजल निर्माताओं, उनके प्राधिकृत डीलरों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के संयुक्‍त उद्यमों (जेवीज) द्वारा जैव-डीजल (बी100) की सीधी बिक्री किए जाने पर सरकार विचार कर रही है।

(ख): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के समन्‍वय से जैव डीजल के प्रति जागरूकता पैदा करने, उसे लोकप्रिय बनाने तथा जैव-ईंधन की खपत को बढ़ाने के उद्देश्‍य से जैव-ईंधन क्षेत्र में उद्योग आधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13.07.2015 को “भारत में जैव-ईंधन कार्यक्रम- उन्‍नति की ओर” विषय पर एक राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्‍ठी में, जैव-ईंधन से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय/ओएमसीज के वरिष्‍ठ अधिकारी, जैव-ईंधन उत्‍पादक तथा इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ एक साथ उपस्थित हुए।

\*\*\*